इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2895

06 सितम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

इस्पात से आयात शुल्क का हटाया जाना

2895. श्री ए. इलावरासन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने इस्पात से आयात शुल्क के हटाने की मांग करते हुए वित्त मंत्रालय को लिखा है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय लौह-अयस्क ढेला चूर्ण और पैलेट से आयात शुल्क हटाने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विकास को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के कर्णाटक और गोवा में खनन पर प्रतिबंध लगाया है और ओडिशा सरकार के खनन के विनियमन ने भी लौह अयस्क की उपलब्धता को अत्यधिक प्रभावित किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): वित्त मंत्रालय ने लौह अयस्क लम्प्स, फाइंस और पेलेट्स पर आयात शुल्क समाप्त नहीं किया है। लौह अयस्क (फाइंस, लम्प्स और पेलेट्स सहित) पर वर्तमान आयात शुल्क 2.5% है।

(घ) और (ड.): इस समय, देश में लौह अयस्क का उत्पादन लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा कुल अनुमानित घरेलू खपत से अधिक है। वर्ष 2011-12 के दौरान, देश में कुल 169.66 मिलियन टन (अनंतिम) लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था जबकि घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा कुल अनुमानत: लगभग 116.3 मिलियन टन लौह अयस्क की खपत की गई थी। अत: घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की कोई कमी नहीं है।

****